**मध्यप्रदेश**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय**

क्र.डी–1692/2367/2000/पी.डब्ल्यू.सी /चार भोपाल,दिनांक 28 अक्टूबर 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–मध्यप्रदो सरकार के सिविल पेंशन भोगियों को सार्वजनिक क्षैत्र के बैंको द्वारा पेंशन भुगतान की योजना।

मध्यप्रदेश सरकार के सिविल पेंशन भोगियों को सार्वजनिक क्षैत्र के बैंको के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना 1 अगस्त–1977 से लागू की गयी है । इस योजना के नियमों के नियक 13.3 के पश्चात 13.3 ''क'' निम्नानुसार जोडा जाता है तथा नियम 13.5., 13.6, एवं 20 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

1. नियम 13.3. को निम्नानुसार जोडा जाये :–

भुगतान शाखा उसके द्वारा किए गए पेंशन भुगतान का परिशिष्ट–तीन या परिशिष्ट–ती ''क'' जो भी स्थिति हो, में विहित फार्म मे विस्तृत अभिलेख रखेगी । परिशिष्ट–तीन का उपयोग 31.10.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए होगा । जबकि परिशिष्ट–तीन ''क'' का उपयोग 1.11.2000 के पश्चात सेवानिपवृतत हुए कर्मचारियों के लिए होगा । इस प्रकार भुगतानशखा को उक्त दो प्रकार के पेंशनरों के विषय में दो अलग अलग प्रपत्रों में अभिलेख संघारित करने होंगे ।

2. नियम 13.5 को निम्नानुसार जोडा जायें :–

भुगतान शाखा समय समय पर उसके द्वारा किए गए पेशंन भुगतानों का परिशिष्ट तीन या परिशिष्ट तीन ''क'' जो भी स्थिरति हो, में विहित फार्म मे विस्तृत अभिलेख रखेगी । प्रत्येक भुगतान की प्रविष्टि पेंशन भुगतान आदेश के संवितरक के हिस्से में भी की जायेगी और भुगतान शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी । भुगतान शाखा पेशंन भुगतान के स्कोल में भुगतान कोड 101– अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति पेंशन, 105 परिवार पेंशन, 111 विधायकों को पेंशन 800 अन्य व्यय 8685 हाई कोट जजों की पेंशन, दर्शायेगी ।

2. नियम 13.6 को निम्नानुसार जोडा जाये :–

भुगतान शाखा द्वारा सिवाय उस स्थिति के जब भुगतान तथा सम्बद्व शाखा एक न हो, परिशिष्ट तीन या परिशिष्ट तीन ''क'' जो भी स्थिति हो, में विहित फार्म में चार प्रतियों में स्काल तैयार किए जायेंगे। भुगतान शाखा तथा संबंद्व शाखा एक ही होने की स्थिति में केवल तीन प्रतियां तैयार की जायेगी ।

भुगतान शाखा पेंशन भुगतान की सूचना अपनी सम्बद्व शाखा को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजेगी, भुगतान का प्रमाण पत्र सूचना ही ही अभिलिखित किया जायेगा । स्कॉल की एक प्रति भुगतान शाखा द्वारा स्वयं के अभिलेख के लिए रखी जायेगी और स्क्रॉल की शेष प्रेतियां पेंशन भोगी द्वारा नीचे पैरा–18 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ और पेंशन भुगतान के साथ सम्बद्व शाखा को भेजी जायेगी ।

4. नियम 20 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

जब कभी मध्यप्रदेश अथवा छत्तीसगढ राज्य शासन द्वारा पेंशनों पर कोई अतिरिक्त राहत मंजूर की गई हो तो इस भुगतान को मंजूर करने वाले आदेश की पर्याप्त संख्या में प्रतियां तथा उसे संबंधित आशुपरिकलक (रेडी रेकनर) संबंधित राज्य के शासन, वित्त विभाग द्वारा सीधे सार्वजनिक क्षैत्र बैंक के क्षैत्रीय/स्थानीय मुख्य कार्यालय को भेजा जायेगा । इसक बाद ये कार्यालय कार्यान्वयान के लिये इन आदेशों की प्रतियां अपनी अपनी संबंधित शाखाओं को भेजने की तत्काल अर्थात् 10 दिनों के भीतर व्यवस्था करेंगे । प्रत्येक भुगतान शाखा राज्य के सिविल पेंशन भोगियों को देय पेंशनरों पर राहत की पुनरीक्षित दरें शीघ्र निर्धारित करेगी । प्रत्येक पेंशन भोगी

पर लागू इन दरों की गणना परिशिष्ट छः के अनुसार की जाएगी और ये दरें तथा इनके प्रभावी होने की तारीख/तारीखें पेशंन भुगतान के संवितरक के हिस्से में दर्ज की जाएगी और शाखा प्रबंधक या प्रभारी द्वारा पेंशन भोगियों को इन दरों पर राहत का तथा साथ ही बकाया राशि यदि इस निमित्त उन्हें कोई देय हो भुगतान करने के पूर्व इनका अभिप्रमाणन किया जाएगा ।

**मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा**
**आदेशानुसार**

**(अशोक दास)**
**सचिव**
**म.प्र.शासन, वित्त विभाग**